UPKJ010051632025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी –नरेन्द्र कुमार झा, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP02007

विविध दीवानी अपील संख्या –54/2025

अमित कुमार कटियार आदि बनाम माया देवी आदि।

निर्णय

विविध दीवानी अपील, अपीलार्थीगण अमित कुमार कटियार आदि की ओर से विद्वान सिविल जज (सी.डि.) कन्नौज द्वारा मूलवाद संख्या–279/2025 माया देवी प्रसार समिति आदि बनाम अमित कुमार कटियार आदि में पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को अग्रिम नियत तिथि दिनांक 23.12.2025 तक निषेधित किया गया कि वे विवादित आराजी गाटा संख्या–460 कुल रकवा 1.6590 हेक्टेयर के जुज दक्षिणी भाग रकवा 55 डिसमिल मिलकियती वादीगण स्थित मौजा सरायमीरा परगना तहसील व ज़िला कन्नौज जिसे नक्शा नजरी में अक्षर क.ख.ग.घ. से प्रदर्शित सीमाएं पूरब खेत अमर सिंह, पश्चिम पक्की सड़क, उत्तर खेत उमेश चन्द्र त्रिवेदी, अमित(लकी) कटियार आदि एवं दक्षिण चकरोड वादहू रामविलास का मकान जो उनके खेत में बना है, के बावत वादीगण को उनके स्वामित्व व अध्यासन में कोई हस्तक्षेप न करने न ही उन्हें बेदखल करने एवं निर्माण कार्य आदि करने में कोई बाधा उत्पन्न न करने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तिथि को वादीगण का प्रार्थना पत्र 8C2 आदेश 26 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अमीन को उभयपक्ष मय अधिवक्ता को पूर्व सूचना देकर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

उपरोक्त मूलवाद के वादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 19C2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि चूँकि वह आदेश जिसके विरूद्ध वर्तमान विविध दीवानी अपील प्रस्तुत की गई है अब वह अस्तित्व में नहीं रहा है। उक्त तथ्यों के प्रकाश में अपील के निष्प्रभावी (Infructuous) होने के आधार पर वर्तमान अपील समाप्त घोषित करने की याचना की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिस आदेश दिनांक 09.12.2025 के विरुद्ध वर्तमान विविध दीवानी अपील प्रस्तुत की गई थी, उसका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है तथा वह आदेश वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में इस अपील के गुण–दोष पर विचार करना निरर्थक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत विविध दीवानी अपील अब निष्प्रभावी (Infructuous) हो चुकी है। अतः वर्तमान विविध दीवानी अपील निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.03.10 16:55:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Kannauj

आदेश

प्रस्तुत विविध दीवानी अपील 54/2025 अमित कुमार कटियार आदि बनाम माया देवी शिक्षा प्रसार समिति आदि निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक 10.03.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE-UP02007

निर्णय उपरोक्त मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित और दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 10.03.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE-UP02007